प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 16.11.2023

लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर कई लोगों को घायल करने एवं हत्या का प्रयास करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक शाहपुर के नेतृत्व में उ0नि0 विशाल उपाध्याय मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 856/23 धारा 279,337,338,307,427 भादवि0 7 सीएलए एक्ट से संबंधित अभियुक्त नितिश सिंह पुत्र स्व0 उदनभान सिह निवासी जंगल तिकोनिया 02 थाना शाहपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.11.2023 को वादी मुकदमा अपने भाई के साथ पादरी बाजार में खरीददारी करने हेतु गये थे वहाँ पर कार चालक वाहन सं0 UP53CF3107 द्वारा लापरवाही पूर्वक तेज गति में आकर सामने से वादी मुकदमा की गाड़ी में ठोकर मारकर घायल कर दिया जिससे वादी मुकदमा व उनके भाई को चोटें आई एव उनकी मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई । जब वादी मुकदमा द्वारा कार चालक को रोकने का प्रयास किया गया तो कार चालक अपनी कार से तेजी से भागने के प्रयास में वहां पर मौजूद कई लोगों को जान से मारने की नियत से घायल कर दिया और उनके वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। घटना की सूचना थाना शाहपुर पर भी प्राप्त हुई। जिसके संबंध में वादी मुकदमा से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नितिश सिंह पुत्र स्व0 उदनभान सिह निवासी जंगल तिकोनिया 02 थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 856/23 धारा 279,337,338,307,427, भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 विशाल उपाध्याय चौकी प्रभारी पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
3. का0 अरुण गुप्ता थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
4. का0 राहुल सरोज थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर